राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1587/2013/जयपुर

मैसर्स सैण्डविक एशिया प्रा.लि.,
बी–303, रोड नं.–15, वी.के.आई.एरिया,
जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक आयुक्त, वृत्त–ई, जयपुर

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विक्रय गोगरा,
अभिभाषक ।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :09.12.2014

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स–तृतीय), वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **29.04.2013** के विरूद्ध पेश की गयी थी, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, वृत्त–ई, जयपुर (जिसे आगे ''निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 23 सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे ''केन्द्रीय अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 9 के तहत् निर्धारण वर्ष 2009–10 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 29.02.2012 के जरिये घोषणा प्ररूप ''सी'' व ''एफ'' की अप्रस्तुति के संबंध में कायम मांग राशि के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर, प्रकरण को अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया गया है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 23 सपठित केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 के तहत् निर्धारण आदेश दिनांक 29.02.2012 को आदेश पारित कर, आलोच्य अवधि में घोषणा प्ररूप ''सी'' व ''एफ'' की अप्रस्तुति के संबंध में अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज की कायम मांग राशियां कायम की गयी। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर, घोषणा प्ररूप की प्रस्तुति हेतु दिनांक 30.06.2013 तक का समय अपीलार्थी व्यवहारी को प्रदान कर, प्रकरण को

लगातार.....2

प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर पारित अपीलीय आदेश को अविधिक होने का कथन कर, तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष घोषणा प्ररूप की प्रस्तुति हेतु दिनांक 31.03.2014 का समय चाहा गया था जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा बिना किसी कारणों के अस्वीकार कर, दिनांक 30.06.2013 तक का समय ही प्रदान किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है क्योंकि अपीलार्थी व्यवहारी को अन्य व्यवहारियों से घोषणा प्ररूप प्राप्त करने में समय लगता है। अतः पारित अपीलीय आदेश को अपास्त कर, घोषणा प्ररूप की प्रस्तुति हेतु समय प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया ।

राजस्व की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक **23.08.2013** की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक **29.04.2014** के जरिये अपील स्वीकार कर, प्रकरण अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी पालना में निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक **23.08.2013** के जरिये प्रतिप्रेषित प्रकरण का निस्तारण कर दिया है। अतः प्रकरण के निस्तारित हो जाने के कारण, विवादाधीन प्रकरण में अपीलीय आदेश दिनांक **29.04.2013** के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त अपील ''सारहीन'' हो गयी है। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:–

(i)सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)

(ii)सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 केशरीलाल (1991) 9 आर. टी.जे.एस 8 । (राज.)

(iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, ऐन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं0 (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)

(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं0, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

लगातार.....3

(v) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स ऊंझा फार्मेसी, उदयपुर अपील संख्या 2052/2005/उदयपुर 27 टैक्स अपडेट 205 (आर.टी.बी.)

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा दिये गये तर्कों का समर्थन कर, इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, प्रस्तुत अपील "**सारहीन**" (INFRUCTUOUS) घोषित करने का निवेदन किया गया ।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा दिये गये तर्कों का खण्डन कर तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील सारहीन नहीं हुयी है एवम् प्रकरण को गुणावगुण पर ही निर्णित करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस का मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् माननीय न्यायालयों के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया । अध्ययन करने के पश्चात् इस पीठ के विनम्र मतानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत **25 टैक्स अपडेट 59 व 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण के न्यायिक निर्णय 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)** तथा कर बोर्ड की समन्वय पीठ के प्रोद्धरित निर्णय **38 टैक्स वर्ल्ड 16** में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में, आदेश दिनांक **23.08.2013** पारित किये जाने के फलस्वरूप, प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर, गुणावगुण के बिन्दु पर विचार किये बिना ही रू.6,24,324/– के घोषणा प्ररूप "एफ" की अप्रस्तुति के संबंध में प्रस्तुत अपील "सारहीन" घोषित की जाती है।

जहां तक रू.19,04,158/– के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा प्ररूप को निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने को प्रश्न है, उक्त बिन्दु पर प्रकरण निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर, निर्देश दिये जाते हैं कि प्रस्तुत घोषणा प्ररूप की जांच कर, मांग में नियमानुसार कमी कर, आदेश पारित करें।

निर्णय प्रसारित किया गया।

9.12.2014

(मदन लाल)
सदस्य